

बिहार सरकार
भवन निर्माण विभाग

प्रेषक,

अमित कुमार,
सरकार के संयुक्त सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले. एवं हक) बिहार,
वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना।

दिनांक- 03.01.2020

विषय- विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019-20 में कुल ₹ 45,83,04,709/- (पैंतालीस करोड़ तिरासी लाख चार हजार सात सौ नौ रूपए) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

आदेश- स्वीकृत।

महाशय,

कार्यपालक अभियंताओं द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित ऑनलाईन अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग की विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणीनुसार कुल ₹ 45,83,04,709/- (पैंतालीस करोड़ तिरासी लाख चार हजार सात सौ नौ रूपए) मात्र का व्यय की स्वीकृति वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रदान की जाती है :-

| क्रमांक | प्रमंडल का नाम | योजना का नाम | स्वीकृत्यादेश संख्या/दिनांक | वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए व्यय हेतु स्वीकृत राशि |
|-----------|--|---|-----------------------------|---|
| 1 | भवन प्रमंडल, लखीसराय | लखीसराय जिला में अभियंत्रण महाविद्यालय के स्थापना के स्वीकृति तथा संस्थान के भवनों का निर्माण कार्य | 2024/21.06.19 | 150000000.00 (पन्द्रह करोड़ रूपये) |
| 2 | पटना सिटी भवन प्रमंडल, गुलजारबाग, पटना | Construtcion of Bakhtiyarpur Engineering College at Bakhtiyarpur, Patna | 2263/30.08.16 | 158304709.00 (पन्द्रह करोड़ तिरासी लाख चार हजार सात सौ नौ रूपये) |
| 3 | भवन प्रमंडल, गोपालगंज | Construction of Engineering College at (Sipaya) Kuchaikote in Gopalganj | 424/01.02.19 | 150000000.00 (पन्द्रह करोड़ रूपये) |
| कुल योग:- | | | | 458304709.00 |

(पैंतालीस करोड़ तिरासी लाख चार हजार सात सौ नौ रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के अन्तर्गत मुख्यशीर्ष-4202-शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय-उपमुख्यशीर्ष-02-तकनीकी शिक्षा-लघुशीर्ष-105-इंजीनियरिंग/तकनीकी कॉलेज तथा संस्थान-उपशीर्ष-0105-अभियंत्रण महाविद्यालय भवन (निश्चय) विपत्र कोड-03-4202021050105 के विषय शीर्ष-53-मुख्य निर्माण कार्य-0105.53.01 मुख्य निर्माण कार्य में उपबंधित राशि से वित्तीय वर्ष 2019-20 में किया जाएगा।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे।
4. इस राशि की निकासी संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।
5. प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।
6. स्वीकृत राशि के विरुद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

विश्वासभाजन


 29/1/19
 (अमित कुमार)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 29 (म)

दिनांक- 03.01.2020

प्रतिलिपि-सचिव (व्यय), वित्त विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित जिला कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



 29/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक- 29 (म)

दिनांक- 03.01.2020

प्रतिलिपि-प्रधान सचिव, विज्ञान एवं प्रावैद्यिकी विभाग, बिहार, पटना/आन्तरिक वित्तीय सलाहकार, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना/संबंधित मुख्य अभियंता/निदेशक अनुश्रवण/अभियंता प्रमुख के सचिव प्रावैद्यिक/संबंधित अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/संबंधित कार्यपालक अभियंता/बजट पदाधिकारी/प्रशाखा पदाधिकारी (बजट)/माननीय मंत्री के आप्त सचिव/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव/आई० टी० मैनेजर, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


 29/1/19

सरकार के संयुक्त सचिव।